

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स
आयुध एवं परिवहन इकाई चतुर्थ तल जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ-1

(फैक्स नम्बर-0522-2288824, ई-मेल आई०डी०- logisticoffice4@gmail.com)

संख्या: लाजि०-एमटी-47/2018

दिनांक: दिसम्बर 12, 2018

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा उ०प्र० लखनऊ ।
3. पुलिस महानिदेशक आवास निगम उ०प्र० लखनऊ
4. पुलिस महानिदेशक सर्तकता अधिष्ठान उ०प्र० लखनऊ ।
5. पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध संगठन उ०प्र लखनऊ ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ
7. अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक एस०आई०टी० उ०प्र० लखनऊ ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक रेडियो मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग उ०प्र० लखनऊ
13. अपर पुलिस महानिदेशक "तकनीकी सेवार्य" उ०प्र० लखनऊ
14. अपर पुलिस महानिदेशक, "सुरक्षा मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ
15. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएससी मुख्यालय लखनऊ ।
16. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस बल लखनऊ ।
17. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर ।
18. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी मुरादाबाद ।
19. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर ।
20. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस उन्नाव ।
21. अपर पुलिस महानिदेशक, 1090 उ०प्र० लखनऊ ।
22. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस मुरादाबाद ।
23. अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर ।
24. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन्स उ०प्र० ।
25. पुलिस महानिरीक्षक आरटीसी चुनार मीरजापुर ।
26. पुलिस महानिरीक्षक/जी०एस०ओ०, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ ।
27. पुलिस महानिरीक्षक ए०टी०एस० लखनऊ ।
28. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ०प्र० ।
29. पुलिस महानिरीक्षक फूड सेल उ०प्र० लखनऊ ।
30. पुलिस महानिरीक्षक रूल्स एवं मैनुअल उ०प्र० लखनऊ ।
31. पुलिस महानिरीक्षक महिला सम्मन प्रकोष्ठ उ०प्र० लखनऊ ।
32. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ ।
33. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
34. समस्त सेनानायक उ०प्र०
35. समस्त पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश
36. पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ०प्र० लखनऊ
37. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उ०प्र० लखनऊ ।
38. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ ।
39. पुलिस अधीक्षक कापरेटिव सेल उ०प्र लखनऊ ।
40. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स उ०प्र० लखनऊ ।

- 41 राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी सीतापुर ।
- 42 अपर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल स्टोर कानपुर ।
- 43 निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० लखनऊ ।
- 44 निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो उ०प्र० लखनऊ ।

विषय : आरक्षी चालक से मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित तिथि तक सूचना/चरित्रपंजिका भेजे जाने विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक /सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-12(14)-2018 दिनांक 04.12.2018 द्वारा मुख्य आरक्षी चालको के चयन वर्ष 2017 (01.01.2018 से 30.06.2018) की 36 रिक्तियों एवं चयन वर्ष 2018 (दि० 1.7.2018 से 30.06.2019) की 69 रिक्तियों कुल 105 रिक्त पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र-21 में सूचना मय चरित्रपंजिका सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2- उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में बोर्ड प्रपत्र-21 में सूचना उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर वरिष्ठताक्रम में 225 आरक्षी चालको का बोर्ड प्रपत्र-21 में सूचना पी०डी०एफ० में तैयार कर **up police-police units-Logistics-circuler** पर प्रकाशित की गयी है, तथा आपके ई-मेल पर भी भेजा जा रहा है ।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूची/विवरण को डाउन लोड कर निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सम्बन्धित कर्मों की चरित्रपंजिका एवं निम्न बिन्दु पर सूचना दिनांक 27.12.2018 तक इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) सेवाअभिलेख तथा स्थानीय अभिलेख से बोर्ड प्रपत्र में भरी गयी सूचना का मिलान करें तथा यदि कोई सूचना त्रुटिपूर्ण अंकित हो तो तत्काल फैक्स के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित करें ।


(2) सूची में अंकित समस्त 225 आरक्षी चालको की चरित्रपंजिका विशेषवाहक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। (जिन जनपदों/इकाईयों द्वारा आरक्षी चालको की चरित्रपंजिका इस कार्यालय से वापस प्राप्त नहीं किया गया है, उनकी चरित्रपंजिका लाजिस्टिक्स कार्यालय में ही उपलब्ध हैं) ।

(3) बोर्ड प्रपत्र-21 में जिन कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत दर्शाया गया है, कृपया उन मुकदमों की वर्तमान प्रगति से निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय, तथा यदि किसी कर्मों को मा० न्यायालय द्वारा मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया हो तो मा० न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी करायी जाय ।

(4) दिनांक 30.10.2002 तक आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले किसी आरक्षी चालक का नाम बोर्ड प्रपत्र-21 में अंकित करने से छूटा गया हो तो कृपया उन जनपद/इकाई/वाहिनी द्वारा उनकी भी सूचना बोर्ड प्रपत्र-21 में तैयार कर चरित्रपंजिका सहित निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित यूनिट की होगी।

(5) यदि सम्बन्धित जनपद/इकाई/वाहिनी द्वारा निर्धारित तिथि तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि बोर्ड प्रपत्र-21 में तैयार की गयी सूचना सही है, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार सूचना भर्ती बोर्ड को प्रेषित कर दी जायेगी। इसके उपरान्त यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित यूनिट की होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद/इकाई/वाहिनी के प्रभारी इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें कि बोर्ड प्रपत्र-21 में तैयार की गयी सूचना त्रुटि रहित है, इसमें कोई सूचना छिपायी अथवा बढ़ायी नहीं गयी है।


12/11/16

(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक "स्थापना", एवं अपर सचिव उ0प्र0 पुलिस भर्ती/प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0 डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0, लखनऊ को आरक्षी चालको की अनन्तिम वरिष्ठता सूची जो पुलिस की उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है, जिसमें क्रमांक 01 से 225 तक के आरक्षी चालको के विरुद्ध यदि कोई जाँच/ विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो उनके सम्बन्ध में सूचना निर्धारित तिथि तक लाजिस्टिक्स कार्यालय, जवाहर भवन, चतुर्थ तल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि आपकी सूचना निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो आपकी सूचना शून्य मानते हुए प्रकरण पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित कर दिया जायेगा। यदि इसके उपरान्त किसी कर्मि के विरुद्ध कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

